नईदुनिया

संपादकीय

भविष्य निधि पर नया दृष्टिकोण सामाजिक सुरक्षा की पुनर्व्याख्या

कर्मचारी *भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की जमा राशि किस्तों में निकालने की योजना को मंजूरी दिया जाना केवल प्रशासनिक संशोधन नहीं, सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा में गुणात्मक परिवर्तन का संकेत है। बीमारी, बेरोजगारी, पढ़ाई, शादी या मकान खरीदने जैसी जरूरतों के बीच पीएफ की रकम कर्मचारियों का अंतिम आश्रय होती है। इस आश्रय को सुलभ बनाना कल्याणकारी दायित्व की पूर्ति है।*

पीएफ कर्मचारी की मेहनत की कमाई है। इसमें नियोक्ता का अंशदान भी शामिल है, पर स्वामित्व मूलत: श्रमिक का ही है। ऐसे में जरूरत के समय अपनी संचित पूंजी के उपयोग के लिए लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना विडंबना थी। निकासी के नियमों में बदलाव कर कर्मचारियों को राहत देने की पहल इसी विडंबना का परिहार है। नौकरी के दौरान पीएफ से निकासी की सीमा 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करना और निकासी के लिए एक साल की नौकरी की अनिवार्यता समाप्त कर केवल दो महीने की सदस्यता के बाद बेरोजगारी की स्थिति में पैसा निकालने की सुविधा देना नीतिगत उदारता का परिचायक है।

इस निर्णय के सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ गंभीर हैं। नौकरी छूटने जैसी अप्रत्याशित परिस्थिति में अपनी बचत का सहारा मिलना कर्मचारी को साहूकारी ऋण के दुष्चक्र से बचा सकता है। महंगे ब्याज पर कर्ज लेने या दूसरों के सामने हाथ फैलाने की मजबूरी से मुक्ति आत्मसम्मान की रक्षा भी है। निकासी की सीमा 90 प्रतिशत करने के साथ खाते में 10 प्रतिशत राशि सुरक्षित रखने का प्रावधान दूरदर्शिता का प्रमाण है। इससे वर्तमान जरूरतों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होगा और भविष्य की सुरक्षा का न्यूनतम आधार भी बना रहेगा। यह वर्तमान और भविष्य के बीच विवेकपूर्ण संतुलन है।

नियमों को सरल बनाने और ऑनलाइन दावों की प्रक्रिया सुगम करने का उद्देश्य संस्थागत विश्वसनीयता के लिए अनिवार्य है। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की सार्थकता इसी में है कि जरूरत के समय लाभ बिना अनावश्यक कागजी औपचारिकताओं और देरी के मिले। ईपीएफओ को सुनिश्चित करना चाहिए कि बदलाव का लाभ अंतिम पंक्ति के कर्मचारी तक पहुंचे और दावों के निपटान में पारदर्शिता तथा समयबद्धता बनी रहे। अन्यथा सुधार कागजों तक सीमित रह जाएगा और हितग्राही फिर भटकाव का शिकार होगा।

इस राहत के साथ एक उत्तरदायित्व भी जुड़ा है। पीएफ पर चक्रवृद्धि ब्याज वर्षों में बड़ी पूंजी बनाता है और वृद्धावस्था में यही संबल होता है। समय से पहले बड़ी रकम निकालने से इस वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता है और सेवानिवृत्ति के समय उपलब्ध राशि घट सकती है। इसलिए निकासी की सुविधा को अनावश्यक खर्चों के बजाय वास्तविक और अपरिहार्य जरूरतों तक सीमित रखना विवेकपूर्ण होगा। नौकरी छूटने पर नई नौकरी मिलने तक खर्च का संयमित प्रबंधन करते हुए पीएफ का संतुलित उपयोग दीर्घकालीन हित में होगा। इसलिए समय पर राहत मिलना बेहद महत्वपूर्ण है।

यह निर्णय श्रमिक कल्याण की दिशा में सकारात्मक हस्तक्षेप है। यह कर्मचारी को केवल अंशदाता नहीं, अपनी संचित पूंजी का अधिकारी मानता है। जरूरत है कि सुधार ईमानदारी से लागू हो, ताकि सामाजिक सुरक्षा केवल घोषित संकल्पना न रहकर अनुभूत वास्तविकता बन सके।

आजकल

कॉलेजों की मान्यता का नया इम्तिहान

शपथ पत्र से तय होगा भविष्य

सात दिसंबर तक आवेदन, दस्तावेजों की होगी सख्ती से जांच। भूमि, भवन और दस्तावेजों पर तीन स्तर की निगरानी, कागजों की नहीं अब सत्यापन की होगी जांच।

उच्च शिक्षा विभाग ने निजी कॉलेज खोलने के खेल पर अब लगाम कसने की तैयारी कर ली है। नए निजी कॉलेज खोलने अथवा संचालित कॉलेजों में नए संकाय, पाठ्यक्रम और विषय शुरू करने की तैयारी कर रहे संस्थानों को इस बार पात्रता और दस्तावेजों की कसौटी से गुजरना होगा। शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए जारी नई प्रक्रिया में भूमि संबंधी दस्तावेजों की पूर्ति और सत्यापन अनिवार्य किया गया है। भूमि स्वामित्व के प्रमाण के रूप में खसरा अथवा बी-1 के साथ नक्शे की भू-अभिलेख पोर्टल से सत्यापित प्रति अपलोड करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन में गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त हो सकता है।

यह फैसला वर्षों की शिकायतों का परिणाम है। अब तक निजी कॉलेज खोलना कागजी प्रक्रिया बनकर रह गया था। भूमि कागजों में दिखा दी जाती थी, भवन किराये का होता था और शिक्षक अतिथि के रूप में दर्शाकर मान्यता हासिल कर ली जाती थी। बाद में छात्र परेशान होते थे, पढ़ाई नहीं होती थी और डिग्री सिर्फ कागज बनकर रह जाती थी। अब तीन स्तरों पर जांच होगी। प्रारंभिक परीक्षण के बाद संस्थानों का निरीक्षण और सत्यापन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर जिला कलेक्टर के माध्यम से भौतिक निरीक्षण समिति गठित होगी, जिसे सात दिन में रिपोर्ट देनी होगी। अंतिम निर्णय आयुक्त उच्च शिक्षा के स्तर पर होगा।

सबसे बड़ा बदलाव शपथ पत्र की अनिवार्यता है। संस्थान को भूमि विवाद रहित होने और स्वामित्व की पुष्टि करनी होगी। भवन का नक्शा, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र और प्रयोगशालाओं की जानकारी भी अपलोड करनी होगी। इससे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मान्यता लेने पर रोक लग सकती है।

यह कदम गंभीर शिक्षा संचालकों के लिए राहत और शिक्षा को केवल कारोबार समझने वालों के लिए चुनौती है। हालांकि, सवाल यह है कि क्या सिर्फ दस्तावेजों से गुणवत्ता आएगी? कॉलेजों की असली समस्या शिक्षक, पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं भी हैं। निरीक्षण दल को कक्षाओं, शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति की भी जांच करनी चाहिए। सख्ती तभी सार्थक होगी, जब मान्यता प्रक्रिया कागजी औपचारिकता नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी बने।

भारत की नई उड़ान, स्वदेशी वैक्सीन ने खोला सुरक्षा का द्वार

भोपाल से देश के लिए एक ऐतिहासिक खबर आई है, जिसने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। राजधानी भोपाल में बर्ड फ्लू यानी एच5एन1 एवियन इन्फ्लुएंजा के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह वैक्सीन भोपाल स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान में विकसित की गई है। इसकी संभावित कीमत महज एक से दो रुपये प्रति डोज होगी, जिससे देश के लाखों छोटे और मध्यम पोल्ट्री किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश और देश के अनुसंधान तंत्र को मजबूती देने वाली एक और बड़ी घोषणा की गई। भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान में करीब तीन सौ करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक बायो सेफ्टी लेवल-4 (बीएसएल-4) प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर बताया। भोपाल स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान के वैज्ञानिकों ने यह वैक्सीन तैयार की है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों और कृषि मंत्रालय की टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान के इस विषय पर लिखे विशेष आलेख को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए स्वदेशी टीकों के विकास को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी नवाचार न केवल पशु-पक्षियों को जानलेवा संक्रामक रोगों से बचा रहे हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय को भी सशक्त बना रहे हैं।

कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीन विकसित करने वाले राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान के वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की स्वदेशी वैक्सीन के बाद अब एच5एन1 वायरस के क्लेड 2.3.2.1 के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण भारत की वैज्ञानिक क्षमता का प्रमाण है। यह वैक्सीन न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी अपनी उपयोगिता साबित करेगी। उन्होंने कहा कि यह सफलता इसलिए भी खास है, क्योंकि पहले हम वैक्सीन के लिए विदेशों पर निर्भर थे, आज हम खुद वैक्सीन बनाकर दुनिया को देने की स्थिति में हैं।

भारत दुनिया के सबसे बड़े अंडा और चिकन उत्पादक देशों में से एक है। हर साल बर्ड फ्लू के कारण हजारों पोल्ट्री फार्म बंद हो जाते हैं, लाखों मुर्गियों को मारना पड़ता है और किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। पहले विदेशी वैक्सीन महंगी थी और समय पर मिलती भी नहीं थी। अब जब एक से दो रुपये में स्वदेशी वैक्सीन मिलेगी, तो छोटा किसान भी अपनी मुर्गियों को बचा पाएगा। इससे अंडे और चिकन के दाम भी स्थिर रहेंगे और आम आदमी की थाली भी सुरक्षित रहेगी। यह सिर्फ पशुओं की वैक्सीन नहीं है, यह किसान की आय की वैक्सीन है।

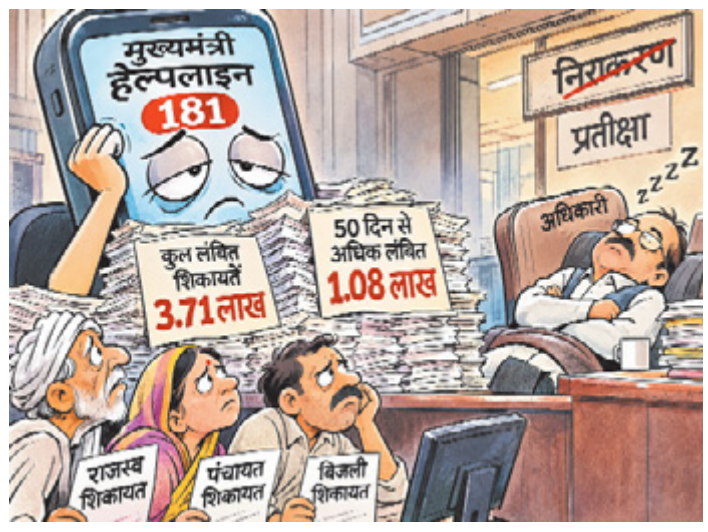
देश में अभी तक पशु रोगों के लिए अत्याधुनिक बीएसएल-4 लैब की कमी थी। इस नई प्रयोगशाला के बनने से न केवल बर्ड फ्लू, बल्कि अन्य खतरनाक वायरस जैसे निपाह, इबोला और भविष्य में आने वाली किसी भी महामारी पर शोध संभव होगा। यह लैब भोपाल को दुनिया के नक्शे पर एक बड़े शोध केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश के लिए यह गर्व की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली नहीं, बल्कि भोपाल से यह क्रांति शुरू हुई है। यह प्रयोगशाला आने वाले वर्षों में देश को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

आत्मनिर्भरता का अर्थ सिर्फ सामान बनाना नहीं है, बल्कि अपनी जरूरत का समाधान खुद खोजना है। पहले हम सोचते थे कि बड़ी वैक्सीन अमेरिका या यूरोप में ही बनेगी, आज भोपाल के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि भारत भी बना सकता है, वह भी सस्ती और अच्छी। यह वैक्सीन मेड इन इंडिया ही नहीं, मेड फॉर वर्ल्ड भी है। इससे भारत की साख बढ़ेगी और दूसरे देशों को भी हम मदद दे पाएंगे। प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब हर क्षेत्र में ऐसी ही स्वदेशी सफलता मिलेगी। आज पशु चिकित्सा में मिली है, कल मानव चिकित्सा में भी मिलेगी। भोपाल में लॉन्च हुई यह स्वदेशी वैक्सीन केवल एक दवा नहीं है, यह देश के वैज्ञानिकों के आत्मविश्वास की जीत है, यह किसान की उम्मीद है, यह आम आदमी की सुरक्षा है और यह भविष्य की महामारियों के खिलाफ तैयारी है। एक से दो रुपये की यह छोटी सी शीशी करोड़ों रुपये के नुकसान को रोकेगी और तीन सौ करोड़ की नई लैब आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। यही असली विकास है, जो लैब से निकलकर खेत तक पहुंचता है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

हेल्पलाइन की हेल्पलेस तस्वीर, 3.71 लाख शिकायतें और जवाब का इंतजार

मध्य प्रदेश में लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 एक बड़ी उम्मीद के रूप में शुरू की गई थी, लेकिन प्रदेश में इस व्यवस्था की 3,71,821 शिकायतें लंबित हैं। इनमें 1,08,157 शिकायतें ऐसी हैं, जिनमें लोग 50 दिन से अधिक समय से समाधान का इंतजार कर रहे हैं। यह स्थिति तब है, जब प्रदेशभर में जनविश्वास अभियान चलाया जा रहा है और कई अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन शिकायतों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं हो पाना अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है।



जिन विभागों में सबसे अधिक शिकायतें लंबित हैं, उनमें राजस्व विभाग सबसे ऊपर है। राजस्व से जुड़ी 85,651 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें 30,122 शिकायतें 50 दिन से अधिक पुरानी हैं। दूसरे नंबर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, जहां 48,590 शिकायतें लंबित हैं और इनमें 10,775 शिकायतें 50 दिन से अधिक पुरानी हैं। गृह विभाग में 46,988 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें 15,605 शिकायतें पुरानी हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग में 37,101 शिकायतें हैं, जिनमें 6,710 शिकायतें लंबित हैं। ऊर्जा विभाग में 27,420 शिकायतें हैं, जिनमें 2,538 शिकायतें 50 दिन से अधिक पुरानी हैं। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 17,121 शिकायतें हैं, जिनमें 8,518 पुरानी हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 12,744 में से 1,895 और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में 10,008 में से 2,171 शिकायतें लंबे समय से लंबित हैं।

प्रदेश के प्रमुख जिलों की रैंक देखें तो हालात और स्पष्ट होते हैं। जबलपुर जिला पहले स्थान पर है, जहां सबसे कम शिकायतें लंबित हैं। उज्जैन सातवें, इंदौर नौवें, सागर अठारहवें, ग्वालियर बयालीसवें और भोपाल बावनवें स्थान पर है। यह रैंकिंग और आंकड़े मुख्यमंत्री हेल्पलाइन डैशबोर्ड से प्राप्त हैं। यह स्थिति बताती है कि बड़े शहरों में, जहां प्रशासन की सबसे अधिक मौजूदगी है, वहां भी लोगों की शिकायतों का निराकरण अपेक्षाकृत धीमा है। भोपाल राजधानी है और यहां बावनवां स्थान आना बताता है कि फाइलें कैसे घूमती हैं। शिकायतों का निराकरण नहीं होने का एक बड़ा कारण यह है कि शिकायत दर्ज होने के बाद उसे दोबारा उसी अधिकारी के पास भेज दिया जाता है, जहां से शिकायतकर्ता को निराशा मिली थी। शिकायत दर्ज होते ही एल-1 अधिकारी को भेजी जाती है। इसके बाद एल-2, एल-3 और एल-4 तक भेजने की व्यवस्था है।

बड़ी संख्या में जनशिकायतों का निराकरण किया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हो या अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतें, उनके निराकरण के लिए जनविश्वास अभियान के तहत सभी स्तरों पर समयसीमा में काम करने के स्पष्ट निर्देश हैं। इसकी निरंतर निगरानी भी की जाती है। अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने भी कहा है कि जब तक सुनवाई नहीं होती, शिकायतें विभाग में बनी हुई हैं। वित्त, वन, श्रम सहित करीब 50 विभागों में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर अक्टूबर में 4,20,381 शिकायतें दर्ज की गई थीं।

इनमें से 3,32,796 का निराकरण किया गया, जबकि 87,585 शिकायतें अब भी लंबित हैं। जब जिम्मेदार अधिकारी शिकायतों की अनदेखी कर रहे हैं, तो यही कारण है कि लंबित शिकायतों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं होने से लोगों में सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता है। हेल्पलाइन का उद्देश्य था कि लोगों को कलेक्ट्रेट और थानों के चक्कर न काटने पड़ें, घर बैठे शिकायत दर्ज हो और समाधान मिले। लेकिन जब वही शिकायत उसी अधिकारी के पास चली जाती है, जिसकी शिकायत की गई है, तो न्याय कैसे मिलेगा? यह व्यवस्था आत्ममंथन मांगती है। अधिकारी को लगता है कि शिकायत ऊपर से आई है, तो खानापूर्ति कर दी जाए और पोर्टल पर निराकरण दिखा दिया जाए, जबकि जमीन पर समस्या वैसी की वैसी बनी रहती है।

इस पूरी व्यवस्था का जनसरोकार से सीधा जुड़ाव है। राजस्व की शिकायत का मतलब है किसी किसान का नामांतरण नहीं हो रहा, किसी गरीब को पट्टा नहीं मिल रहा। पंचायत की शिकायत का मतलब है कि गांव में नाली नहीं बनी, पानी नहीं आ रहा।

गृह विभाग की शिकायत का मतलब है कि किसी महिला की रिपोर्ट नहीं लिखी गई या किसी गरीब को धमकाया जा रहा है। ऊर्जा की शिकायत का मतलब है कि किसी के घर में हफ्तों से बिजली नहीं है। ये सभी शिकायतें कागज नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी हैं। जब एक लाख आठ हजार लोग 50 दिन से ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, तो यह इंतजार सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह व्यवस्था पर सवाल है।

शिकायतों का निराकरण उसी अधिकारी से नहीं कराया जाना चाहिए, जिसके खिलाफ शिकायत है। दूसरी स्वतंत्र टीम या दूसरे जिले के अधिकारी से जांच कराई जाए। दूसरा समाधान यह है कि 50 दिन से अधिक लंबित शिकायतों के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर स्वत: कार्रवाई हो। तीसरा समाधान यह है कि हर हफ्ते जिला कलेक्टर खुद शीर्ष 20 पुरानी शिकायतों की सुनवाई करें और उसका वीडियो रिकॉर्ड रखा जाए। चौथा समाधान यह है कि हेल्पलाइन को केवल नंबर न माना जाए, इसे जनविश्वास का मीटर माना जाए। जितना जल्दी समाधान, उतना ज्यादा विश्वास। सरकार को चाहिए कि वह शिकायतों की संख्या कम होने पर खुश न हो, बल्कि शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता पर ध्यान दे। तभी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नाम सार्थक होगा और आम आदमी को लगेगा कि उसकी आवाज सच में सुनी जा रही है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)



भीड़ नहीं, सुविधाएं: तीन हजार यात्रियों का नया ठिकाना

भोपाल रेलवे स्टेशन की तस्वीर अब बदलने जा रही है। यहां यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि आराम से इंतजार करने की जगह मिलेगी। रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। भोपाल स्टेशन पर एक साथ तीन हजार यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था वाला होल्डिंग एरिया बनाने का काम शुरू हो गया है। यह एरिया प्लेटफार्म नंबर एक की ओर पुरानी स्टेशन बिल्डिंग के सामने पार्किंग वाली जगह पर तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद साफ है, भीड़ को प्लेटफार्म पर जमा नहीं होने देना, बल्कि एक सुरक्षित जगह पर रोककर व्यवस्थित तरीके से ट्रेन तक पहुंचाना। इस पूरे प्रोजेक्ट की तैयारी 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ को ध्यान में रखकर की जा रही है। उस समय लाखों यात्री भोपाल होते हुए उज्जैन जाएंगे। ऐसे में भोपाल स्टेशन पर भीड़ का दबाव सबसे ज्यादा होगा। रेलवे ने अभी से भीड़ प्रबंधन की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे समय रहते व्यवस्था बन जाए।

इसके निर्माण की जिम्मेदारी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (राइट्स) को सौंपी गई है। काम तेजी से चल रहा है और इसे 2027 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण के बाद प्लेटफार्म नंबर छह की ओर भी होल्डिंग एरिया विकसित किया जाएगा। इससे स्टेशन के दोनों ओर यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

भोपाल स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ केवल सिंहस्थ के दौरान ही नहीं, बल्कि होली, दीपावली, छठ पूजा, रक्षाबंधन और अन्य बड़े आयोजनों के दौरान भी बढ़ जाती है। अभी ऐसे मौकों पर यात्रियों को प्लेटफार्म, स्टेशन प्रवेश द्वार और आसपास के क्षेत्रों में भीड़ के बीच इंतजार करना पड़ता है। स्थायी होल्डिंग एरिया बनने से यात्रियों को सुरक्षित जगह मिलेगी और रेलवे को भी भीड़ नियंत्रित कर चरणबद्ध तरीके से प्लेटफार्म तक पहुंचाने में आसानी होगी।

यहां यात्रियों को ट्रेन का इंतजार करने के लिए व्यवस्थित जगह मिलेगी, जिससे भीड़ सीधे प्लेटफार्म पर जमा नहीं होगी। इस होल्डिंग एरिया में यात्रियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे, जिन पर ट्रेनों के आगमन, प्रस्थान और अन्य जरूरी जानकारियां मिल सकेंगी। यहां अस्थायी टिकट काउंटर, टिकट वेंडिंग मशीन और पीने के पानी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यात्री प्लेटफार्म पर जाने से पहले यहां रुककर ट्रेन का इंतजार कर सकेंगे और अपनी यात्रा से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे। यह सुविधा खासकर उन ग्रामीण यात्रियों के लिए बड़ी राहत होगी, जिन्हें अक्सर प्लेटफार्म नंबर और ट्रेन के समय की सही जानकारी नहीं मिल पाती।

यह प्रयोग नया नहीं है, बल्कि सफल प्रयोगों से सीखा गया है। दिल्ली और प्रयागराज जैसे बड़े स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया पहले से ही सफल रहा है। अब उसी तर्ज पर भोपाल में भी इसे बनाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भगदड़ का खतरा कम होगा, चोरी और सामान खोने की घटनाएं घटेंगी और बुजुर्गों, बच्चों तथा महिलाओं को बैठने की जगह मिलेगी। रेलवे की यह सोच यात्री को बोझ नहीं, मेहमान मानने की सोच है। जब यात्री को सम्मान मिलेगा, तो यात्रा भी आसान होगी और यही असली विकास है, जो स्टेशन की सुंदरता से नहीं, यात्री की सुविधा से नापा जाता है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

अमेरिका में भारतीयों की धरपकड़ ट्रंप राज का सबसे बड़ा अभियान

अमेरिका जो कभी सपनों का देश कहलाता था, अब भारतीयों के लिए डर का देश बनता जा रहा है। ट्रंप राज में इमिग्रेशन कार्रवाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनवरी 2025 से अगस्त 2026 के बीच 6,111 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। 5,235 को डिपोर्टेशन सेंटर में रखा गया और 2,350 को सीधे भारत भेज दिया गया। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि निशाने पर अब कोई और नहीं, बल्कि भारतीय हैं। संस्था स्टॉप एएपीआई हेट का कहना है कि मिडटर्म चुनाव से पहले छापेमारी तेज की गई है, ताकि वोटरों को दिखाया जा सके कि हम सख्त हैं। इस आंकड़े के पीछे एक दर्दनाक कहानी भी है। कैलिफोर्निया में 60 साल की भारतीय मूल की रेस्टोरेंट संचालक बबली को सिर्फ बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाया गया था। वह 1994 से अमेरिका में रह रही हैं। उनका ग्रीन कार्ड मंजूर हो चुका है, फिर भी उन्हें हफ्तेभर हिरासत में रखा गया। परिवार का आरोप है कि भारतीय होने की वजह से उन्हें परेशान किया गया है। कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो, बेकर्सफील्ड, स्टॉकटन और सैन बर्नार्डिनो में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है, जहां 850 से ज्यादा भारतीय पकड़े गए हैं। जब ग्रीन कार्ड वाले सुरक्षित नहीं हैं, तो स्टूडेंट वीजा और वर्क वीजा वालों का क्या हाल होगा, यह सोचने वाली बात है।

बीस महीने में छह हजार गिरफ्तार, ग्रीन कार्ड वालों को भी नहीं बख्शा



ट्रंप की रणनीति अब साफ है। एक तरफ लोगों को निकालो, दूसरी तरफ कंपनियों को रोको। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिकी कंपनियों ने भारत में डेटा सेंटर बनाया, तो उन पर भारी टैक्स लगेगा। गूगल ने विशाखापत्तनम में 1.43 लाख करोड़, माइक्रोसॉफ्ट ने 1.90 लाख करोड़ और अमेजन ने 1.95 लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया है।

ट्रंप की रणनीति अब साफ है। एक तरफ लोगों को निकालो, दूसरी तरफ कंपनियों को रोको। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिकी कंपनियों ने भारत में डेटा सेंटर बनाया, तो उन पर भारी टैक्स लगेगा। गूगल ने विशाखापत्तनम में 1.43 लाख करोड़, माइक्रोसॉफ्ट ने 1.90 लाख करोड़ और अमेजन ने 1.95 लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया है।

ट्रंप को डर है कि भारत एआई हब बन जाएगा और अमेरिका पीछे रह जाएगा। इसलिए वह ब्याज दरें कम करके ग्रोथ 20 प्रतिशत तक ले जाने की बात कर रहे हैं। यह बयान भारत की बढ़ती ताकत को रोकने की कोशिश है। कुल मिलाकर यह दोहरी मार है। भारतीय युवाओं को समझना होगा कि अमेरिका में अब पहले जैसा स्वागत नहीं है। वहां हर भारतीय को शक की नजर से देखा जा रहा है। जो पैसा और टैलेंट भारत से बाहर जा रहा था, उसे अब भारत में ही रोकना होगा। सरकार को भी सख्त कदम उठाना होगा। अमेरिका में फंसे हर भारतीय को कानूनी मदद देनी होगी और अमेरिका को साफ बताना होगा कि भारतीय समुदाय को निशाना बनाना बंद करो, क्योंकि जो देश भारतीयों के दम पर सिलिकॉन वैली बनाता है, वही देश अगर भारतीयों को ही गिरफ्तार करेगा, तो उसकी अपनी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)